राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–717, 718 व 719/2013/जयपुर

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
जरिये इसके वरिष्ठ लेखाधिकारी, पंजीकृत कार्यालय,
विद्युत भवन, जनपथ नगर, जयपुर ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक, जयपुर ...अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अशोक माथुर
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.10.2018

निर्णय

1. ये निगरानियॉ प्रार्थी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जिसे आगे **'निगम'** कहा जायेगा) द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश क्रमशः दिनांक 04.12.2012 प्रकरण संख्या 147/2008, दिनांक 04.12.2012 प्रकरण संख्या 143/2008 एवं दिनांक 04.12.2012 प्रकरण संख्या 57/2007 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किये गये है।

2. निगरानी संख्या 717/2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी समीक्षा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक की अवधि में लेखों की जांच में पाया गया कि निगम ने उक्त वर्ष में राशि रू 22,70,74,13,950/– रू के ऋण प्राप्त किये। मुद्रांक अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार ऋण राशि पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय है। इस प्रकार मुद्रांक कर की राशि रू 2,27,07,414/– रू देय बनती है।

3. महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे मुद्रांक कर की वसूली हेतु प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

4. प्रार्थी निगम की आर से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नोटिस के साथ ऑडिट पैरा संलग्न किया गया है लेकिन विस्तृत विवरण विपक्षी को उपलब्ध नहीं करवाया गया है कि उक्त कर अपवंचना किस मामले में की गयी है। यह भी कथन किया गया था कि राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज जो कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी तरफ से या उसके पक्ष में निष्पादित

लगातार.....2

किया गया है पर मुद्रांक कर से मुक्ति प्रदान की गयी है एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित एक राजकीय कम्पनी है जिसका गठन राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से हुआ हैं और विपक्षी कम्पनी की समस्त उत्तरदायित्वों व सम्पत्तियों आदि के लिये राज्य सरकार की प्रत्याभूति प्रदत्त है। जो भी ऋण निगम को प्राप्त हुआ है वह राज्य सरकार की ओर से प्रत्याभूत है। अतः यह मुद्रांक कर से मुक्त है। इसके अलावा गिरल लिग्नाईट थर्मल पावर प्राजेक्ट, छबडा थर्मल पावर प्राजेक्ट व धौलपुर कम्बाईड साईकिल प्राजेक्ट सभी 125 मेगावाट क्षमता से अधिक के है और उनकी लागत 750 करोड रू से अधिक हैं। राज्य सरकार वित्त (कर) विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.08.2007 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की धारा 9(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जनहित में 125 मेगावाट व इससे अधिक के पावर प्लांट्स जिनकी लागत 750 करोड़ से अधिक है, के लिये भूमि, ऋणियों के हक में की गयी सिक्योरिटी आदि के सबंध में निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजात पर मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गयी हैं। उक्त अधिसूचना की रोशनी में महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऋण के संबंध में प्रस्तुत की गयी सूची में वर्णितानुसार कोई स्टाम्प ड्यूटी निगम द्वारा देय नहीं है। वर्ष 2005–06 में लिये गये ऋणों के संबंध में पूर्व में भी न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 57/07 लम्बित चल रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के लिये जब पूर्व में ही मामला माननीय न्यायालय के समक्ष चल रहा है तो उस अवधि के महालेखाकार के आक्षेप के आधार पर पुनः यह मामलें चलने योग्य नहीं है और रेसजुडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर पोषनीय नही है। निगम ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 22,70,74,13,950/– रू का ऋण प्राप्त किया है। यह कथन पूर्णतया गलत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षा के समय पूर्व वर्ष की क्लोजिंग व चालू वर्ष की क्लोजिंग में जो अंतर आया उसे ऋण लेने के रूप में बताया गया है जो वास्तविक तथ्यों से परे हैं। वर्ष 2002–03 में केनरा बैंक से ऋण लिया है जिसके संबंध में स्टाम्प ड्यूटी भुगतान की गयी हैं। वर्ष 2003–04 में विजय बैंक व सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त किया और प्रत्येक ऋण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नियमानुसार किया गया हैं। पावर फाईनेन्स कारपोरेशन, हुडको जो कि निगमित सरकार कम्पनी है, से ऋण राशि आपसी समझौते के तहत राजस्थान राज्य की गारंटी के फलस्वरूप प्राप्त किया गया हैं। पावर फाईनेन्स कोरपोरेशन का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और दिल्ली में ही ऋण प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया सम्पन्न हुई हैं। इसलिये अन्यथा भी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के तहत कोई मुद्रांक राशि देय नहीं बनती हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 04.12.2012 द्वारा प्रार्थी के जवाब को अस्वीकार कर उसके विरूद्व प्रस्तुत रेफरेन्स यथावत स्वीकार करते हुये यह अवधारित किया है कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के आर्टीकल 6 के अनुसार ऋण राशि पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होता है। यह निर्धारित किया गया कि निगम द्वारा वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक 22,70,74,13,950/– रू के ऋण प्राप्त किया गया है परन्तु प्रार्थी कम्पनी द्वारा मुद्रांक कर की राशि का भुगतान नहीं किया है। यह भी निर्धारित किया गया कि प्रार्थी की ओर से जिस मुद्रांक शुल्क मुक्ति अधिसूचना दिनांक 20.08.2007 का हवाला दिया है वह इससे संबंधित नहीं है। लिहाजा प्रकरण में कमी मुद्रांक कर 2,27,07,414/– रू देय होते है। सक्षम अधिकारी ने प्रार्थी निगम द्वारा प्रकरण में मुद्रांक अपवंचन के आधार पर 2,92,586/– रू शास्ति

लगातार.....3

भी आरोपित की है। इस प्रकार प्रकरण में कुल 2,50,00,000/– रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी निगम द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

6. निगरानी संख्या 718/2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी समीक्षा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान द्वारा अवगत कराया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक की अवधि में लेखों की जांच में पाया गया कि निगम ने उक्त वर्ष में राशि रू 22,71,79,99,978/– रू के प्लांट एवं मशीनरी क्रय किये गये है। मुद्रांक अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार क्रय राशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय है। इस प्रकार मुद्रांक कर की राशि रू 11,35,89,998/-- रू देय बनती है। अधीनस्थ न्यायालय में इस बिन्दु के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत हुआ जिसमे प्रार्थी निगम को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी निगम की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित राजकीय कम्पनी होने, अधिसूचना दिनांक 20.08.2007 के तहत छूट प्राप्त होने, किसी प्रकार की कन्वेन्स डीड का निष्पादन नहीं होने आदि के आधार पर रेफरेन्स खारिज करने हेतु निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कमी मुद्रांक कर 11,35,89,998/– रू शास्ति 4,10,002/– कुल 11,40,00,000/– रू वसूल करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

7. निगरानी संख्या 719/2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी समीक्षा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान के पत्र दिनांक 12.12.2006 से अवगत कराया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के वर्ष 2005–06 के लेखों की जांच में पाया गया कि निगम ने उक्त वर्ष में राशि रू 871.74/– रू के ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये तथा राशि रू 1055.77 लाख की भूमि क्रय की तथा राशि रू 22.42 लाख के प्लांट एवं मशीनरी क्रय की। मुद्रांक अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार ऋण राशि पर 0.1 प्रतिशत, भूमि क्रय पर 8 प्रतिशत तथा प्लांट एवं मशीनरी पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय है। इस प्रकार उक्त आईटमों पर मुद्रांक कर की राशि रू 1,82,84,515 देय बनती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी निगम की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित राजकीय कम्पनी होने, अधिसूचना दिनांक 20.08.2007 के तहत छूट प्राप्त होने, किसी प्रकार की कन्वेन्स डीड का निष्पादन नहीं होने, भूमि राज्य सरकार से व अवाप्ति के माध्यम से प्राप्त होने आदि के आधार पर रेफरेन्स खारिज करने हेतु निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स स्वीकार करते हुए कुल मुद्रांक कर राशि रू 1,82,84,515/– एवं शास्ति 7,15,485/– रू कुल राशि रू. 1,90,00,000/– वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

8. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

9. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

10. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि नोटिस के साथ ऑडिट पैरा संलग्न किया गया था लेकिन विस्तृत विवरण विपक्षी को उपलब्ध नहीं

लगातार.....4

करवाया गया कि उक्त कर अपवंचना किस मामले में की गयी है। राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज जो कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी तरफ से या उसके पक्ष में निष्पादित किया गया है पर मुद्रांक कर से मुक्ति प्रदान की गयी है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित एक राजकीय कम्पनी है जिसका गठन राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से हुआ हैं और विपक्षी कम्पनी की समस्त उत्तरदायित्वों व सम्पत्तियों आदि के लिये राज्य सरकार की प्रत्याभूति प्रदत्त है। जो भी ऋण निगम को प्राप्त हुआ है वह राज्य सरकार की ओर से प्रत्याभूत है। गिरल लिग्नाईट थर्मल पावर प्राजेक्ट, छबडा थर्मल पावर प्राजेक्ट व धौलपुर कम्बाईड साईकिल प्राजेक्ट सभी 125 मेगावाट क्षमता से अधिक के है और उनकी लागत 750 करोड रू से अधिक हैं। राज्य सरकार वित्त (कर) विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.08.2007 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की धारा 9(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जनहित में 125 मेगावाट व इससे अधिक के पावर प्लांट्स जिनकी लागत 750 करोड़ से अधिक है, के लिये भूमि, ऋणियों के हक में की गयी सिक्योरिटी आदि के सबंध में निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजात पर मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गयी हैं। उक्त अधिसूचना की रोशनी में महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऋण के संबंध में प्रस्तुत की गयी सूची में वर्णितानुसार कोई स्टाम्प ड्यूटी निगम द्वारा देय नहीं है। निगम ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 22,70,74,13,950/– रू का ऋण प्राप्त किया है। यह कथन पूर्णतया गलत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षा के समय पूर्व वर्ष की क्लोजिंग व चालू वर्ष की क्लोजिंग में जो अंतर आया उसे ऋण लेने के रूप में बताया गया है जो वास्तविक तथ्यों से परे हैं। वर्ष 2002–03 में केनरा बैंक से ऋण लिया है जिसके संबंध में स्टाम्प ड्यूटी भुगतान की गयी हैं। वर्ष 2003–04 में विजय बैंक व सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त किया और प्रत्येक ऋण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नियमानुसार किया गया हैं। पावर फाईनेन्स कारपोरेशन, हुडको जो कि निगमित सरकार कम्पनी है, से ऋण राशि आपसी समझौते के तहत राजस्थान राज्य की गारंटी के फलस्वरूप प्राप्त किया गया हैं। पावर फाईनेन्स कोरपोरेशन का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और दिल्ली में ही ऋण प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया सम्पन्न हुई हैं। इसलिये अन्यथा भी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के तहत कोई मुद्रांक राशि देय नहीं बनती हैं। इन्होंने यह भी कथन किया कि प्रकरणों में किसी लिखत का निष्पादन नहीं हुआ है। प्रार्थी निगम को राज्य सरकार द्वारा या अवाप्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है जिस पर कोई मुद्रांक कर देय नहीं है। इन्होंने निगरानियॉ स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Food Corporation of India & Anr.... V/s Seil Ltd. & Ors Decision Dated 11-01-2008 2007-08 DNJ (sc) (Suppl.) 98, Deepak Kumar V/s Union of India & Ors Decision Dated 27-11-1996 RLR 1996(1) Page 615 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Avas Vikas Santhan Engineering Association & Ors V/s Awas Vikas Santhan & Ors. Decision Dated 25-04-2000 RLR 2000(2) Page 233 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

11. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानियॉ खारिज की जावें।

12. हमनें पत्रावलियों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

लगातार.....5

13. निगरानियों में प्रार्थी निगम का प्रथम आधार यह है कि नोटिसों के साथ ऑडिट पैरा संलग्न किया गया था लेकिन विस्तृत विवरण विपक्षी को उपलब्ध नहीं करवाया गया कि उक्त कर अपवंचना किस मामले में की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 147/2008 के पृष्ठ सं. 14 पर प्रार्थी निगम को नोटिस जारी किया गया है जिसमे ऑडिट पैरा के विवरण के संलग्न का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस जारी करना चाहिए था। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी पूर्ण विवरण के साथ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था।

14. निगरानी में प्रार्थी निगम का द्वितीय आधार यह है कि राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज जो कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी तरफ से या उसके पक्ष में निष्पादित किया गया है पर मुद्रांक कर से मुक्ति प्रदान की गयी है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित एक राजकीय कम्पनी है जिसका गठन राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से हुआ हैं और विपक्षी कम्पनी की समस्त उत्तरदायित्वों व सम्पत्तियों आदि के लिये राज्य सरकार की प्रत्याभूति प्रदत्त है। जो भी ऋण निगम को प्राप्त हुआ है वह राज्य सरकार की ओर से प्रत्याभूत है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी निगम ने मुद्रांक कर से छूट होने का कथन किया है।

15. राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 27.05.2004 से राजस्थान राज्य में लागू हुआ है जिसकी धारा 3 निम्न प्रकार है :–

3 - Instrument chargeable with duty Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefor respectively, that is to say,--

(a) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of commencement of this Act;

(b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any property situate, or to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State :

Provided that no duty shall be chargeable in respect of,--

(i) any instrument executed by or on behalf of, or in favour of, the Government in cases where, but for this exemption, the Government would be liable to pay the duty chargeable in respect of such instrument;

(ii) any instrument for the sale, transfer or other disposition, either absolutely or by way of mortgage or otherwise, of any ship or vessel, or any part, interest, share or property of or in any ship or vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (Act No. 44 of 1958), as amended by subsequent Acts.

प्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी कम्पनी भी सरकार की परिभाषा के अधीन सम्मिलित योग्य है जिससे उसे मुद्रांक कर में छूट प्राप्त है। इस बिन्दु के संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की माननीय खण्डपीठ द्वारा निगरानी सं. 1653/2007 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 25.08.2017 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

9. प्रार्थी कम्पनी की ओर से उद्धरित राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत केवल सरकार या सरकार के निमित्त किये गये अचल सम्पत्तियों के विक्रय पर वास्तविक प्रतिफल राशि पर ही मुद्रांक शुल्क प्रभारित किये जाने का

लगातार.....6

प्रावधान किया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी कम्पनी भी एक सरकार की परिभाषा के अधीन ही सम्मिलित योग्य है एवं इस तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट 212 सोमप्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया** के मामले में दिये गये निर्णय में यह अवधारित किया जाना बताया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि प्रार्थी के समकक्ष ही भारत सरकार का अन्य कॉर्पोरेशन है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य (State) का दर्जा दिया जाना अवधारित किया गया है। प्रार्थी के इस कथन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट 212** के निर्णय का अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लेकर हुए विवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को संविधान के अनुच्छेद–12 में दी गयी परिभाषा के तहत सम्मिलित किया जाने सम्बन्धी निर्णय किया गया था, जो निम्न प्रकार है :–

12. In this Part, unless the context otherwise requires, "the State'' includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

10. इस निर्णय में राज्य के रूप में "other Authorities under the control of Government of India के प्रावधानों की व्याख्या की गयी थी अर्थात् इस अनुच्छेद में State में Other Authorities जो Government के नियंत्रण में हो, उन्हें State की परिभाषा में सम्मिलित होने से 'State' माना गया था।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में State के तहत राज्य सरकार, संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय निकाय एवं भारत सरकार के अधीन अन्य प्राधिकरण को अनुच्छेद 12 के तहत माना था, क्योंकि इस अनुच्छेद में Other Authorities को भी जो कि भारत सरकार के नियंत्रण में है उन्हें State के रूप में निर्वहन योग्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिये उत्तरदायी माना गया था जबकि इस अधिसूचना के तहत इस अनुच्छेद के भीतर परिभाषित केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा की जाने वाले विक्रय संव्यवहारों पर ही रियायत दी गयी है न कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन अन्य नियंत्रित ऑथोरिटीज को यह रियायत दी गयी है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य या संघीय सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी कम्पनी या कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित other authorities को यह सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा लाभांश प्राप्त कर राजकीय नियंत्रण में व्यवसायिक कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 'सरकार' एवं सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकारी या निकाय या कोई कॉरपोरेशन या कम्पनी अलग–अलग विधिक अस्तित्व हैं। Article 12 of Constitution of India के अनुसार 'State' की परिभाषा में 'सरकार' संसद, विधायिका एवं अन्य 'Authorities' जो सरकार के नियंत्रण में है वे सम्मिलित होते हैं अर्थात् "State" की परिभाषा में कई प्राधिकारी शामिल हैं, जिन्हें संविधान में "State" कहा गया है तथा संविधान के विभिन्न चैप्टर में 'State' का एवं Government को अलग–अलग संदर्भित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य के नियंत्रण में

लगातार.....7

विभिन्न कॉरपोरेशन या कम्पनी यथा बैंक, या ऑयल कम्पनी या अन्य कई Public Enterprises जिन पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है वे "State" की श्रेणी में रखे गये हैं न कि ''सरकार'' की श्रेणी में, बल्कि वे 'other authorities under the control of Government' कहलाते हैं। सामान्य रूप से भी कोई राजकीय नियंत्रण की बैंक या कॉरपोरेशन जो कम्पनी एक्ट के तहत गठित है वे 'सरकार' नहीं है बल्कि सरकार के नियंत्रण में other authorities के रूप में संविधान के अनुसार 'State' है।

12. राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना में यदि ''सरकार'' एवं ''सरकार के अधीन/नियंत्रित प्राधिकारी संस्थान (Authorities)" को भी यह रियायती दी जाती तो वह प्रार्थी को Authorities under the control of Government के रूप में प्राप्त हो सकती थी जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में other Authorities under the control of Government को State में शामिल किया है। चूंकि उक्त अधिसूचना केवल "Government" के विक्रय विलेखों के लिये ही है न कि any other authorities under the control of Government के लिये है। इस अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन परिभाषित "State" को रियायत नहीं दी गयी है बल्कि State में सम्मिलित केवल 'सरकार' तक ही यह रियायत सीमित की है न कि सरकार एवं other authorities under the control of Government को यह रियायत दी गयी है। इस तरह Union Government एवं State Government के विक्रय विलेखों पर यह रियायत है परन्तु Union एवं State Government के अधीन कार्यरत कम्पनी या कॉर्पोरेशन या किसी अन्य नियंत्रित संस्था को इस रियायत के लिये पात्र नहीं रखा गया है। अतः विद्वान अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें 'सरकार' मानते हुए विक्रय विलेख में अंकित राशि अनुसार ही मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है।

16. माननीय खण्डपीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह अवधारित किया है कि अधिसूचना का लाभ केवल ''स्टेट'' में सम्मिलित ''सरकार'' को देय है न कि other authorities under the control of Government. इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी निगम को भी मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार सरकार की श्रेणी में मानते हुए छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि यह सरकार के नियंत्रित अन्य संस्था है जो कि इस प्रावधान के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है **जब तक कि किसी अन्य अधिसूचना या नियम के द्वारा छूट प्राप्त नहीं हो।**

17. निगरानी में प्रार्थी निगम का तृतीय आधार यह है कि गिरल लिग्नाईट थर्मल पावर प्राजेक्ट, छबडा थर्मल पावर प्राजेक्ट व धौलपुर कम्बाईड साईकिल प्राजेक्ट सभी 125 मेगावाट क्षमता से अधिक के है और उनकी लागत 750 करोड़ रू से अधिक हैं। राज्य सरकार वित्त (कर) विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.08.2007 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की धारा 9(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जनहित में 125 मेगावाट व इससे अधिक के पावर प्लांट्स जिनकी लागत 750 करोड़ से अधिक है, के लिये भूमि, ऋणियों के हक में की गयी सिक्योरिटी आदि के सबंध में निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजात पर मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गयी हैं। उक्त अधिसूचना की रोशनी में महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऋण के संबंध में प्रस्तुत की गयी सूची में वर्णितानुसार कोई स्टाम्प ड्यूटी निगम द्वारा देय नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2012 में मात्र यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी निगम की ओर से जिस अधिसूचना का हवाला दिया है वह इससे

लगातार.....8

संबंधित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो इस अधिसूचना का उल्लेख किया है व न ही विवेचन–विश्लेषण किया है कि यह अधिसूचना प्रार्थी निगम पर लागू क्यों नहीं होती है। बहस के समय प्रार्थी निगम की ओर से इस संबंध में वित्त विभाग (टैक्स डिवीजन), राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(72)एफडी/टैक्स/06–46 दिनांक 12.09.2007 की प्रति प्रस्तुत करते हुये मुद्रांक कर से मुक्ति होने का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है :–

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, dated: 12.09.2007

in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No.14 of 1999) and in supersession of this department's notification No. F.2(72)FD/Tax/06-35 dated 20-08-2007, the State Government, being of the opinion that it is expedient in the public interst so to do, **hereby remits stamp duty payable on all instruments and security documents executed for the pruposes of obtaining loan from the lenders on which stamp duty is payable under Articles 5 (bbb), 6, 32 and 37 of the Schedule and the intruments executed for the acquisition of land for setting up a thermal power plant of 125 MW and above capacity within the State (except captive power plants) provided the capital cost of the project exceeds Rs. 750 crores.**

[No. F.2 (72)FD/Tax/06-46]
By Order of the Governor,

इस खण्डपीठ की विनम्रराय के अनुसार इस अधिसूचना द्वारा ऐसे थर्मल पॉवर प्लान्ट्स जिनकी क्षमता 125 या 125 से अधिक मेगावाट हो तथा परियोजना की लागत 750 करोड़ से अधिक हो तो उन्हें मुद्रांक कर से छूट दी गई है। विवादित प्रकरणों के संबंध में यह अधिसूचना महत्तवपूर्ण है तथा इन प्रकरणों में परीक्षणोंपरांत शर्ते पूरी होने पर यह अधिसूचना लागू किये जाने योग्य है। इस प्रकार इस अधिसूचना व तत्समय प्रचलित विधिक प्रावधानों के संदर्भ में प्रार्थी निगम द्वारा निष्पादित किये गये ऋण पत्रों एवं प्रार्थी निगम की विधिक स्थिति के बारे में परीक्षण की आवश्यकता है कि उक्त अधिसूचना अनुसार प्रार्थी निगम को मुद्रांक कर से छूट है या नहीं। इस दृष्टिकोण से प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कलक्टर (मुद्रांक) प्रार्थी निगम पर अधिसूचना लागू होने या नहीं होने के संबंध में पूर्ण विवेचन करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित करें।

18. प्रार्थी का यह भी कथन है कि उनके द्वारा कुछ ऋण पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नियमानुसार किया गया है परन्तु उन ऋण पत्रों को भी निर्णय में शामिल कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ऑडिट आक्षेप के अनुसार आक्षेपित राशि यथावत स्वीकार करते हुए रेफरेन्स स्वीकार किया है तथा इस बिन्दु पर कोई परीक्षण नहीं किया गया है कि किन दस्तावेजों से संबंधित मुद्रांक कर भुगतान कर दिया गया है तथा किन दस्तावेजों पर शेष है। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी प्रकरण परीक्षण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

19. प्रार्थी का यह भी कथन है कि ऑडिट आक्षेप में यह उल्लेख किया गया है कि निगम ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 22,70,74,13,950/– रू का ऋण प्राप्त किया है। यह कथन पूर्णतया गलत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षा के समय पूर्व वर्ष की क्लोजिंग व चालू वर्ष की क्लोजिंग में जो अंतर आया उसे ऋण लेने के रूप में बताया गया है जो वास्तविक

लगातार.....9

तथ्यों से परे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी कोई परीक्षण नहीं किया है कि प्रार्थी निगम का यह कथन किस सीमा तक सही है जबकि प्रार्थी निगम ने अपने जबाब में यह बिन्दु उठाया था। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी प्रकरण परीक्षण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

20. प्रार्थी निगम का यह आधार भी परीक्षण योग्य है कि निगम को भूमि राज्य सरकार से या अवाप्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है जिस पर मुद्रांक कर देय नहीं हैं। निगम को कितनी भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई है तथा विधिक संदर्भ में मुद्रांक कर की देयता है या नहीं, यह बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर पूर्ण तथ्य प्रस्तुत होने पर तत्सयम प्रचलित विधिक प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

21. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानियॉ आंशिक स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय निरस्त किये जाकर प्रकरण निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं। साथ ही यह अवधारित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार मुद्रांक कर से कोई छूट प्राप्त नहीं है परन्तु अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 के द्वारा शर्ते पूर्ण होने पर प्रार्थी निगम को छूट प्राप्त हो सकती है जिसके संबंध में परीक्षण की आवश्यकता है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए प्रार्थी निगम को नोटिस जारी करें।

(2) बिन्दु सं. 17 में की गई विवेचना के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 व अन्य तत्समय प्रचलित अधिसूचना/अधिनियम/नियम/विभागीय दिशा निर्देशों के संदर्भ में परीक्षण कर पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण सहित स्पीकिंग आदेश पारित करें कि यह अधिसूचना या अन्य तत्समय प्रचलित मुद्रांक कर में छूट के प्रावधान प्रार्थी निगम के प्रकरणों में लागू होते या नहीं। यदि उक्त अधिसूचना या अन्य प्रावधान लागू होते है तो मुद्रांक कर आरोपित नहीं किया जावे।

(3) उक्त बिन्दु सं. 02 के अनुसार यदि प्रार्थी निगम अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है या कोई ऐसा बिन्दु है जिससे करारोपण के संबंध में इस अधिसूचना के अन्तर्गत या अन्यथा छूट प्राप्त नहीं है तो निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में निर्देशानुसार आदेश पारित करें।

(a) बिन्दु सं. 18 में की गई विवेचना के अनुसरण में प्रार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण कर यह अवधारित करें कि किन ऋण पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है व किन पर शेष है एवं तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

(b) बिन्दु सं. 19 में की गई विवेचना के अनुसरण में प्रार्थी निगम द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त किये गये ऋण के संबंध में परीक्षण कर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(c) बिन्दु सं. 20 में की गई विवेचना के अनुसरण में प्रार्थी निगम द्वारा प्राप्त भूमि व उस पर मुद्रांक कर की देयता के संबंध में परीक्षण कर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(4) प्रार्थी निगम द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत जवाब पर उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को सुनकर पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित हो।

22. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य